दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प भोपाल

R-2352-PBR/14

प्रकरण क्रमांक निगरानी 13 14

नासिर अली आयु लगभग 70 वर्ष
आत्मज स्व. श्री नाश अली
कृषक एवं निवासी ग्राम अम्बाडी
तहसील व जिला रायसेन
हाल निवासी- 9 ईदगाह हिल्स भोपाल .... आवेदक

विरूद्ध

सुनील कुमार आत्मज सुरेश चन्द्र माहेश्वरी,
नटवरलाल आत्मज श्री वंशीलाल माहेश्वरी,
दोनो निवासी ग्राम अम्बाडी,
तहसील व जिला रायसेन .... अनावेदकगण

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता विरूद्ध सीमांकन दिनांक 27.06.2014, जो राजस्व निरीक्षक, दीवानगंज मण्डल तहसील व जिला रायसेन व्दारा संपन्न किया गया अंतर्गत प्रकरण क्रमांक निरंक पक्षकारगण सुनील कुमार एवं नटवर लाल विरूद्ध सर्वसाधारण ।</u>

आवेदक की ओर से निवेदन है कि :-

यह कि अनावेदकगण व्दारा ग्राम अम्बाडी तहसील व जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा क्र. 70/1 क्षेत्रफल 1.954 हेक्टर एव खसरा क्रमांक 70/2 क्षेत्रफल 1.619 हेक्टर मे अपने अपने स्वत्व की भूमि के संबंध मे सीमांकन हेतु आवेदनपत्र राजस्व निरीक्षक दीवानगंज मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये । जिसके आधार पर दिनॉक 25.6.2014 को सीमांकन संपन्न कराये जाने हेतु सूचनापत्र राजस्व निरीक्षक दीवानगंज मण्डल व्दारा जारी किये गये। ऐसे सूचनापत्र के पश्चात आवेदक दिनॉक 25.6.2014 को मौके पर उपस्थित रहा किंतु मौके पर स्थायी सीमाचिन्ह एवं ग्रादो का अभाव होने के कारण सीमांकन कार्य होना संभव नही था । इस संबध मे आवेदक व्दारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी । आपत्ति प्रस्तुत होने के पश्चात संबंधित राजस्व निरीक्षक व्दारा पंचनामा निर्मित कर आपत्ति का हवाला देकर व्यक्त किया कि वह ऐसी आपत्ति का निराकरण करने हेतु सक्षम अधिकारिता वाले नायब तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रेषित करेगा एव आपत्ति के निराकरण के पश्चात ही सीमांकन कार्य संभव हो सकेगा । किंतु उसके पश्चात आवेदक को यह तथ्य ज्ञान मे आया कि दिनांक 27.6.2014 को संबंधित राजस्व निरीक्षक ने अधीक्षक भू अभिलेख को अपने साथ रखते हुए एवं आवेदक को सूचित किये बिना ही सीमांकन कार्य पूर्ण किया किंतु ऐसा सीमांकन कार्य स्थायी सीमाचिन्हो , मेडे, तिमडे के बिना पूर्ण किया गया एव नाले को आधार माना जबकि बहता हुआ नाला कभी भी एक जैसा नही रह सकता है। पानी के बहाव से कटाव आने के कारण इसका शेप परिवर्तित होता रहता है। ऐसे सीमांकन मे आवेदक के स्वामित्व की भूमि पर विधिवत व्यपवर्तन एव अनुज्ञा उपरांत निर्मित वेयरहाउस, जो खसरा क्रमांक 58

राजस्व मण्डल राजस्थान–अजमेर

अनुपालना [illegible]

[illegible] क्रमांक [illegible] सं. [illegible] [illegible] जिला [illegible]

[illegible] तथा दिनांक [illegible] कार्यवाही और आदेश [illegible] [illegible] तथा [illegible] आदि के हस्ताक्षर

24-7-2014	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक [illegible] सहायता पर प्रस्तुत [illegible] [illegible] की ओर से यह [illegible] सीमाज्ञान [illegible] [illegible] प्रस्तुत की गई है परन्तु सीमाज्ञान आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, इस [illegible] [illegible] सकते हैं कि [illegible] निरीक्षक द्वारा बिना कोई [illegible] [illegible] है इसलिये [illegible] [illegible] यह तर्क मान्य योग्य नहीं है क्योंकि यदि [illegible] दर्ज नहीं भी हुआ है, तब भी [illegible] [illegible] प्रतिवेदन अवश्य बना होगा उसकी सत्य प्रतिलिपि [illegible] सकती है। इसके अतिरिक्त [illegible] [illegible] चुनौती दी गई है, [illegible] [illegible] नहीं होता है [illegible] आदेश राजस्व [illegible] [illegible] सीमाज्ञान [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] सकता है। इस प्रकार यह [illegible] [illegible] के प्रावधानों के अनुरूप [illegible] नहीं होने [illegible] की जाती है	

[illegible]

([illegible]दीप सिंह)

अध्यक्ष